

गणतंत्र दिवस पर भाषण



माननीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे भाई एवम बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज इस गणतंत्र दिवस के पवन अवसर पर कुछ कहने का मौका मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ अपने देश का 76वाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया और तब से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं।

यह दिन हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है जो हमें हमें आपस में गर्व और एकता का आभास दिलाता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को ही नवनिर्मित संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना।

गणतंत्र दिवस के दिन ही भारत में ब्रिटिश कानून को हटाकर भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो हमें इस देश में विशेष अधिकार देता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था लेकिन संविधान बनाने में डॉ भीमराव आंबेडकर और अन्य सदस्यों ने मिलकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनाया। जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं।

हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को सामान अधिकार और स्वतंत्रता देता है और साथ-साथ हमें कर्तव्य सौंपे है। हमें न केवल अपने अधिकार का उपयोग करना है बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है।

अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना।

जय हिन्द ! जय भारत